



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256708  
CG-DL-E-29082024-256708

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3318]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 3318]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2024

का.आ. 3635(अ).—चूंकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 254(ई) दिनांक 18 जनवरी 2024 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 353जे, फेत्री (नागपुर बाहरी रिंग रोड) के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर कलमेश्वर, काटोल, भारसिंगी, जलाईखेड़ा, वरुद, चांदुर बाजार, अचलपुर को जोड़ता हुआ महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 548सी पर परतवाड़ा में समाप्त खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353जे के डिज़ाइन किमी 34+000 से किमी 62+035 तक नागपुर रिंग रोड सेक्शन तक 4.260 कि.मी. (जिनकी कुल लंबाई 0.426 कि.मी. है) कुल लंबाई की समकक्ष बुनियादी ढांचा (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर और बाईपास जिनकी लंबाई 27.609 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर आधार दर के 150% की दर से शुल्क उद्घूहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

1. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका - 2						
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	बाईपास का नाम	आरंभ होते हुए	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पवनगांव गांव के पास किमी/चैनेज 57+935 (डिजाइन चैनेज) पर	नागपुर ओआरआर (बाईपास)	34+000	62+035	27.609	639.00	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई* (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पवनगांव गांव के पास किमी/चैनेज 57+935 (डिजाइन चैनेज) पर	0.426	4.260	चार या अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^ विवरण निम्नानुसार है;

	चेनेज (किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	से	तक		
1	38+557	38+653	आरओबी सं. 1	0.096
2	46+861	46+939	आरओबी सं. 2	0.078
3	50+729	50+891	आरओबी सं. 3	0.162
4	56+355	56+445	आरओबी सं. 4	0.090
<b>कुल</b>				<b>0.426</b>

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए मासिक पास की दर 340.00/- रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

<b>तालिका-4</b>		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 763.27 करोड़ रूपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने

शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू/एनजीपी1/ओआरआर-II/ड्राफ्ट टोल नोटिफिकेशन/2023/235749]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2024

**S.O. 3635(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number vide S.O. 254(E) dated 18th January of 2024, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the national highways 353J starting from its junction with NH-53 near Fetri (Nagpur outer ring road) and connecting to Kalmeshwar, Katol, Bharsingi, Jalaikheda, Warud, Chandur Bazar, Achalpur and terminating at Paratwada on NH-548C in the state of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 (herein referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structures length (having length more than 60m) of 4.260 km (having length of 0.426km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of **27.609 km** on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of **Nagpur Ring Road Section from Design km 34+000 to km 62+035 section of NH-353J in the State of Maharashtra** and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

<b>Type of vehicle</b>	<b>Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)</b>
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

<b>Location of Fee Plaza (Chainage)</b>	<b>Name of the Bypass</b>	<b>Taking Off</b>	<b>Merging at</b>	<b>Length and Cost of bypass for which additional fee is payable</b>		<b>Rate at which fee is payable</b>
				<b>Length (in Km.)</b>	<b>Cost (in Rs. Crore)</b>	
At Km/Ch. 57+935 (Design Chainage) Near Pawangaon village in Nagpur District of Maharashtra	Nagpur ORR (Bypass)	34+000	62+035	27.609	639.00	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

<b>Table-3</b>			
<b>Location of Fee Plaza (Chainage)</b>	<b>Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length</b>	<b>Equivalent road length (in km)</b>	<b>Rate at which fee is payable</b>
<b>At Km/Ch. 57+935 (Design Chainage) Near Pawangaon village in Nagpur District of Maharashtra</b>	<b>0.426</b>	<b>4.260</b>	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^ The details are as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	38+557	38+653	ROB No. 1	0.096
2	46+861	46+939	ROB No. 2	0.078
3	50+729	50+891	ROB No. 3	0.162
4	56+355	56+445	ROB No. 4	0.090
<b>Total</b>				<b>0.426</b>

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometres from the fee plaza is Rs.340.00 (Rupees Three Hundred Thirty Only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

<b>Table-4</b>		
<b>Amount Payable</b>	<b>Maximum number of one way journeys allowed</b>	<b>Period of validity</b>
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the

basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 763.27 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/PIU/NGP1/ORR-II/DraftTollNotification/2023/235749]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.